

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला सं० 04/2014-15 सन 2014-15

कैस का प्रकार :- खदीदगी/रैयती भूमि का सिमांकन

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/3/2014	आवेदक गन्धू राम पिता का नाम ग्राम राजेश थाना - विश्रामपुर, जिला पलामू ने अपनी खरीदी हुई खतियानी भूमि के अंचल अमीन से सिमांकन कराने के लिए आवेदन देकर अनुरोध किया है। भूमि का विवरण ग्राम थाना नं० खाता प्लॉट रकबा राजेश 93- 870 0.30 871 872 874 उपरोक्त भूमि का जांच प्रतिवेदन हल्का कर्म०/अंचल निरीक्षक से माँग कर अभिलेख दिनांक ...22/4/2014... को रखें। अंचल अधिकारी नायब बाजार।	
22/4/2014	अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि का जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्म०/अंचल निरीक्षक से प्राप्त हुआ जिसमें अंचल अमीन ने एक/दो दिन के सिमांकन शुल्क जमा करने हेतु प्रतिवेदित किये हैं। आवेदक गन्धू राम को आदेश दिया जाता है कि नाजीर के पास शुल्क 500/- रु० नगद जमाकर नाजीर से रसीद प्राप्त कर लें। नाजीर को आदेश दिया जाता है कि आवेदक गन्धू राम से सिमांकन शुल्क जमा लेकर रसीद निर्गत करें। तदनुरार भूमि सिमांकन के लिए अंचल अमीन निर्गत करें तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि भूमि का सिमांकन करें। प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी नायब बाजार।	

-2-

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभीत इस लंबे समय से प्रतिवेदा मारा नहीं किया गया है। कारण पृथक् रूप से दिनांक 24/5/17 को प्रतिवेदा अवसरक रूप से मारा करने हेतु नोटिस निर्गत करें। साबली दिनांक 22/5/17 को जारी हेतु अभीत व उपसप्तों को नोटिस निर्गत करें।

वे. गांगार

अंगन अधिकारी

गावाकास।

25.2.2023

अभिलेख उपस्थापित / अंगन अभीत/अध्यापक द्वारा प्रतिवेदिन है कि अंगन सापी सुनकर मारा नहीं करने तथा online उपस्थापित है निर्गत मारा है निर्गत वरमारा अभिलेख की कार्यवाही-मारा की जाती है।

वे.

अंगन अधिकारी